प्रेस विज्ञप्ति

मतदान केन्द्रो की आलेख्य सूची के प्रकाशन की सूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–25 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मै, राज कमल यादव, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत एतद्द्वारा 11–बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 50–छपरौली, 51–बडौत एवं 52–खेकडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के समक्ष अंकित मतदान क्षेत्रों के मतदाताओं के समूहों के लिये मतदान केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त, 2021 को एक सप्ताह की अवधि हेतु करता हूँ ।

अतः जन–सामान्य से अपील है कि जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की आलेख्य सूची के बाबत यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो कृपया लिखित रूप में दिनांक 31.08.2021 तक मेरे कार्यालय (जिला निर्वाचन कार्यालय, बागपत/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संलग्नकः यथोपरि ।
दिनांकः 24.08.2021

(राज कमल यादव)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागपत ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत ।

संख्याः 440 /29–निर्वा0/ मतदेय स्थल — दिनांकः 24 अगस्त, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2) मा0 आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ ।
(3) मा0 सांसद एवं मा0 विधायकगण जनपद–बागपत
(4) समस्त मा0 अध्यक्ष/सचिव, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दल जनपद–बागपत ।
(5) समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद–बागपत ।
(6) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आलेख्य सम्बन्धी सूची के पी0डी0एफ0 डाटा को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनपद की वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
(7) जिला सूचना अधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त सूचना को क्षेत्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागपत ।

जिला निर्वाचन अधिकारी बागपत

IPSINGH